## LL.B. (First Year) EXAMINATION, 2018 LAW OF TORTS INCLUDING CONSUMER PROTECTION AND M.V. ACCIDENT

Paper III

Time allowed: Three Hours

Maximum Marks: 100

Part A (खण्ड 'अ') [Marks : 5×8=40]

Candidates are required to answer all questions in Part A (150 words each).

All questions carry equal marks.

खण्ड 'अ' में से सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 150 शब्दों से अधिक न हो ।

सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Part B (खण्ड 'অ') [Marks : 4×15=60]

Answer any four questions (300 words each).

All questions carry equal marks.

किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए । प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 300 शब्दों से अधिक न हो । सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।

## Part A (खण्ड 'अ')

1. Explain the following:

निम्न को समझाइये

- (i) Act of God दैवीय कृत्य
- (ii) Nuisance उपताप
- (iii) Consumer उपभोक्ता
- (iv) Ubi jus ibi remedium जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है
- (v) Rule of last opportunity अन्तिम अवसर का सिद्धान्त

## Part B (खण्ड 'ब')

2. What do you understand by Strict Liability? Write the grounds for defenses of strictly liability.

कठोर दायित्व के सिद्धान्त से आप क्या समझते हैं ? कठोर दायित्व के बचाव के आधार बताइए। 3. Explain Negligence and contributory negligence with essential elements.

उपेक्षा और अंशदायी उपेक्षा के आवश्यक तत्वों को समझाइये।

4. Explain the essential elements of 'innuendo' with help of illustrations.

वक्रोक्ति के आवश्यक तत्वों को दृष्टांतों की सहायता से समझाइये।

5. What do you understand by the Nervous shock?

Is false Prank covered by nervous shock?

Explain.

तंत्रिकीय आघात से आप क्या समझते हैं ? क्या झूंठी शरारत तंत्रिकीय आघात के अधीन आती है ? समझाइये।

6. What do you mean by damages? Explain all kinds of damages.

नुकसानी से आप क्या समझते हैं ? नुकसानी के सभी प्रकारों को समझाइये।

6 003 P.T.O.

- 7. Define and distinguish between Assault and battery.

  Can mere words amount to an assault?

  आक्रमण और प्रहार को परिभाषित कीजिये और दोनों में भेद बताइये। क्या केवल शब्द आक्रमण की कोटि में आ सकते हैं ?
- 8. Discuss the composition and powers of State and District
  Consumer Protection Council.

राज्य और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के गठन और शक्तियों की विवेचना कीजिए।